संख्या-55/2025/I/909597/2025/71-1001(001)/11/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2025**

विषयः- समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/ पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, झाँसी/कॉलेज आफ नर्सिंग, कानपुर में कैम्पस सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/691/2024-25/474, दिनांक 09.10.2024 एंव पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/691/2024-25/646, दिनांक 21.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/ पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज झांसी /कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर के कैम्पस की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों के इतर कुल 2044 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की तैनाती किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर/ पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज झांसी /कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर के कैम्पस की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों के इतर निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल 2044 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को आउटसोर्स आफ सर्विसेज के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

क्र0	कालेज का नाम	अतिरिक्त सुरक्षा गार्डो की संख्या		अतिरिक्त सुपर वाइजर की संख्या	योग
		Armed Security Guards	Unarmed Security Guards		
1	आगरा	27	75	5	107
2	कानपुर	100	200	15	315
3	मेरठ	9	0	8	17
4	गोरखपुर	50	362	12	424
5	प्रयागराज	17	60	4	81
6	झांसी	30	328	9	367
7	अम्बेडकर नगर	17	13	2	32
8	आजमगढ़	30	30	4	64
9	बॉदा	48	0	3	51
10	बदायूं	55	162	4	221
11	कन्नौज	48	27	2	77
12	जालौन	10	20	0	30
13	सहारनपुर	10	97	3	110
14	जे0के0कैंसर संस्थान, कानपुर	0	24	0	24
15	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	32	32	5	69
16	पैरा ट्रेनिंग कालेज झांसी	12	36	1	49
17	कालेज ऑफ नर्सिंग कानपुर	2	2	2	6
योग-		497	1468	79	2044

(1) उक्त चिकित्सा संस्थाओं द्वारा कालेज कैम्पस की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से ही की जाय। इस संबंध में किसी भी प्रकार की निविदा किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के किसी क्षेत्रीय शाखा के द्वारा संबंधित कालेज में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता जतायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कालेजों द्वारा पूर्व

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की भाँति सुसंगत शासनादेशों के आलोक में जेम पोर्टल पर निविदा के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की सेवायें (security services) प्राप्त की जाय।

(2) सुरक्षा गार्ड के मानदेय उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की प्रचलित दरों के आधार पर निर्धारित किया जाय।

(3) सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत सुरक्षा गाड्र्स की संख्या के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए उनकी तैनाती की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

(4) इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से किया जाए।

कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in